NOTARY DHANBAD

SPECIAL ADHESIVE

CHANCHAL PRASAD SINGH NOTARY Regd.-13549/18 DHANBAD Govt. of India

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN BENCH KOLKATA

Original Application No. 57/2023

Ajay Rajak

Vs

Ministry of coal

Rejoinder on behalf of Applicant Ajay Rajak

Sl No. 07 Date 22 SEP 2023

I, Ajay rajak S/o Sri Radheshyam rajak, R/o Vill-Surunga, P.O.-Khas jinagora, P.S.-Alakdiha OP, Dist.- Dhanbad, Jharkhand do hereby solemnly affirmed declare on oath as follows:-

1. That According to the counter affidavit of R.no.-5/Deputy commissioner Dhanbad, there is no record of point no. 1 to 3 of the OA and the photographs attached in the OA are related to Gopinathpur colliery, ECL and CV area, in this regard I say that as per schedule 4 of the OA submitted by me the photographs of the page no. 18,19,20,21 and page no. 29,30,31 of schedule 5 and page no. 37 of schedule 6 is of central surunga and paharigora and the information about the death of laborers which was published in the Daily news paper is of that incident. Proper investigation is not done, so the truth is not in front.
2. That along with counter affidavit of R. no.-5, a report of the police station incharge Alakdiha OP is submitted in which a total of 14 FIRs and 44 sanha are registred in the police station related to illegal coal mining and coal theft, which proves that illegal coal mining takes place in the said places.
3. It is that the team constituted by Hon'ble NGT has also certified the fact that coal mined illegally in the said sites.

CHANCHAL PRASAD SINGH NOTARY Regd.-13549/18 DHANBAD Govt. of India

अजय रजक

NOTARY DHANBAD

4. This is that before I complained in Hon'ble NGT, the villagers of surunga village had informed the R. no.-5 about illegal mining and death due to illegal mining through a joint signed complaint letter dated 28/02/2023, on which till date no action has been taken, investigation was also not done, even I had send photographs of illegal mining sites to the R.no.-5 through WhatsApp , despite this, a total of 4 FIRs and 16 sanha were registered in Alakdiha OP even after 28/02/2023.
5. It is that on dated 22/06/2023, the team constituted by Hon'ble NGT investigated the illegal mining sites and illegal mining was also confirmed in the investigation, yet illegal mining started again from the second day of investigation by the team, the proof of which is automatically clear from the Daily Newspaper published in Dainik jagran and Prabhatkhabar on Dated 14/06/2023, 15/08/2023, 17/08/2023, 23/08/2023, 27/08/2023 And ~~03/09/2023~~. Annexture-1
6. This is that the mining sites which were investigated by the investigation committee constituted by Hon'ble NGT and the sites where samples were illegal mining were found during the investigation, the vacant ground located between the sites were razed to the ground in the size of 20"×10" feet on dated 02/09/2023. After this, he becomes A Goff, the proof of which is clear from the Newspaper of Prabhatkhabar published on 03/09/2023. Annexture-2
7. It is that Again after a week on Dated 09/09/2023 pathardih to Kushmatand Jharia baliapur Road which is under construction, Near Pahari gora kali mandir, hug cracks appeared on the road under construction, Which are published in Prabhatkhabar news paper on dated 10/09/2023. Annexture-3

CHANCHAL PRASAD SINGH NOTARY Regd-13549/18 DHANBAD Govt. of India

अजय रजक

NOTARY
DHANBAD

8. This is that several cases of illegal coal mining and coal theft are registered against Respondent no. 8 (main kingpin of illegal coal mining and coal theft), Sri Bittu yadav and his father sri Ganesh Yadav in Alakdiha OP and their anticipatory bail should also be rejected by the honorable High court of Jharkhand. Despite this, the district administration is neither arresting them nor submitting charge sheets against them in the court, due to which illegal coal mining and coal theft continues uninterrupted in the said mining sites. Annexture-4
9. It is that the report Submitted by team constituted by Hon'ble NGT, There are not mention Distance of Habitation and forest land between said illegal mines sites, which were most important fact regarding my OA.

Your Faithfully

22/9/23 अजय रजक

NOTARY
DHANBAD

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd -13549/18
DHANBAD
Govt. of India

Authorised
U/S (8) (1) a of the Notaries
Act-1952 Act No -53 of 1952

अनुसूचि -I (A)

अवैध खनन स्थल पर छापा, मुहानों की भराई

लोदना. अलकडीहा ओपी क्षेत्र के सुरुंगा शिव मंदिर के समीप चल रहे अवैध खननस्थल पर लोदना प्रबंधन, सीआइएसएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से मंगलवार को छापेमारी की. लेकिन इससे पूर्व ही कोयला तस्करों एवं अवैध खनन करने वालों को छापेमारी की भनक लग गयी तो सभी भाग गये. उसके बाद टीम ने आधा दर्जन अवैध मुहानों की भराई पेलोडर मशीन से की. लोदना प्रबंधन का कहना है कि किसी भी हाल में अवैध उत्खनन चलने नहीं देंगे. छापामारी के दौरान कोयला नहीं पाया गया. छापेमारी के दौरान एनटी-एसटी जीनागोड़ा के पीओ एसके सिन्हा, सुरक्षा अधिकारी हीरानंद रावत, सीनियर ओवरमैन अनवर सद्दाम मल्लिक, वीर बहादुर सीआइएसएफ तथा अलकडीहा पुलिस शामिल थी.

प्रभात खबर Wed, 14 June 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd - ...49/18
DHANBAD
Govt. of India

अनुसूचि - I (B)

कोयला चोर आपस में भिड़े गोली लगने से युवक की मौत

वर्चस्व की लड़ाई

- लक्ष्मी कॉलोनी बरारी स्थित माइंस मे रविवार रात की घटना
- पुलिस का दावा- कोयला चोरी मे नहीं, नशा के दौरान हुई अमित सिंह की हत्या

प्रतिनिधि, जोड़ापोखर

थाना क्षेत्र के लक्ष्मी कॉलोनी बरारी में कोयला चोरों के दो गुटों में रविवार की रात वर्चस्व को लेकर माइंस में भिड़ंत हो गयी. इसमें एक गुट के अमित सिंह को गोली मार दी गयी. उसकी मौत हो गयी. जोड़ापोखर पुलिस ने सोमवार को शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया. घटनास्थल से मृतक की बाइक बरामद हुई है. अमित के पिता जीतपुर निवासी अशोक सिंह के बयान पर जोड़ापोखर थाना में कांड संख्या- 175/23 दर्ज किया गया है. इसमें सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. इनमें जगदीश, विशाल नोनिया, शिवा, सोनकमल, जिसु सिंह व दो अन्य हैं. साथ ही, 10 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. अशोक सिंह के अनुसार, अमित अपने बहनोई धीरेंद्र सिंह, बहन ममता देवी के यहां डिगवाडीह में रहता था. रविवार रात 11.30 बजे मोबाइल पर फोन आया और वह बाहर चला गया. बाद में अमित के दोस्त तबरेज ने फोन किया कि अमित घायल हो गया है. अशोक सिंह अवकाश प्राप्त सेल कर्मी हैं. मां शशि देवी गृहिणी हैं. बड़ा भाई चंदन ड्राइवर है. चार बहनों की शादी हो चुकी है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. जोड़ापोखर थाना प्रभारी विनोद उरांव ने बताया कि यह कोयला चोरी का मामला नहीं है, नशा करने के दौरान हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है.

मौके पर उपस्थित भीड़ व मृतक अमित सिंह का फाइल फोटो.

बीसीसीएल के छह नंबर चानक के पीछे चल रहीं कई अवैध माइंस

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीएल के 6 नंबर चानक के पीछे कई अवैध माइंस संचालित है. बंद कब्रिस्तान के नीचे से ग्रेड ए क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है. वहीं बंद पखा घर के समीप भरपूर मात्रा मे कोयला है. कोयला चोरो का सिंडिकेट लोदना क्षेत्र के कई स्थानो पर अवैध माइंस खोलकर चला रहा है. जी यादव, एस चौहान, डी महतो, पी महतो के संरक्षण मे अवैध कोल भट्ठा अलकडीहा थाना क्षेत्र मे संचालित है. रात के अंधेरे मे डिगवाडीह जेलगोड़ा के कोयला चोरो का दल खदान मे उतर जाता है. प्रत्येक दिन अवैध कोयला लोड 7 से 8 ट्रक लक्ष्मी कॉलोनी से निकलता है. जिसे बिहार, बंगाल की मंडियो मे बेचा जाता है. यहां पूर्व मे भी मारपीट की घटना घट चुकी है. इस सिलसिले मे थाना कांड संख्या- 112 /23 के तहत कई लोगो पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. इसमे इश्तेयाक, सागर, सुमित, आनंद, शंभु, सुमित, तबरेज, मृतक अमित सिंह आदि शामिल थे. सभी लोगो को मैनेज एस चौहान द्वारा किया जाता है.

प्रभात खबर Tue, 15 August 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/73206953

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd-13549/18
DHANBAD
Govt. of India

दैनिक जागरण 17 अगस्त 2023

अनुसूचि

कोयले के अवैध धंधे ने कराया भरोसे का कत्ल, अमित की हो गई हत्या

जागरण पड़ताल

जागरण संवाददाता, धनबाद : जोड़ापोखर थाना क्षेत्र की लक्ष्मी कालोनी में अमित कुमार सिंह की हत्या हो गई। खुला खेल फरुखाबादी की तर्ज पर इस इलाके में चल रहा कोयले का अवैध कारोबार इसकी जड़ में है। पुलिस इसे पुरानी रंजिश बता रही, मगर यह रंजिश क्या है, इसे सभी जानते हैं। यह दीगर है कि रंजिश क्या है स्वजन से लेकर पुलिस भी साफ-साफ बताने से कतरा रही है। बावजूद यह सभी जान रहे कि अमित ने जिस समझौते के बल पर दुश्मन पर भरोसा किया, उसने उसे तोड़ दिया, उसका कत्ल कर दिया।

सूत्रों ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपित जगदीश पासवान और अमित कुमार सिंह में विवाद हो गया था। जोड़ापोखर के भूलन बरारी में बीसीसीएल की बंद कोयला खदान है। यहां से जगदीश पासवान एवं उसके गुर्गे कोयला निकालते थे। यहीं से अमित और उसके साथी भी कोयला निकालने लगे। इसके लिए गणेश यादव के गुर्गों ने उसको हरी झंडी दे दी थी।

बड़े घराने का भी कोयले के धंधे के लिए अमित को आशीर्वाद था। जगदीश को यह बात नागवार गुजरी, फिर क्या था, एक माह पहले दोनों पक्षों में फायरिंग हुई। दोनों पक्षों का गाडफादर एक ही था, उसने समझौता करा दिया। समझौते के बाद जगदीश व अमित साथ उठने बैठने लगे थे। अमित ने समझौते पर विश्वास कर लिया, बावजूद भरोसे की हत्या कर दी गई, रविवार को उसकी जान ले ली गई।

पिता को नहीं पता अमित का काम : अमित क्या करता था, इसकी पिता और भाई को जानकारी नहीं थी। दोनों ने कहा कि वह अधिकांश समय बहन के घर में डिगवाडीह में रहता था। उन्हें नहीं पता कि वह कोयले के धंधे में जुड़ा है। घटना के बाद काफी कुछ पता चला है। जानकारी मिली है कि जगदीश और उसके ही साथियों ने हत्या की है।

जोड़ापोखर थाना पुलिस इसे आपसी रंजिश लेनदेन का परिणाम बता रही। जोड़ापोखर थाना प्रभारी विनोद उरांव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। घटना के बाद जिन सात लोगों को आरोपित बनाया है उन्हें पकड़ने की छापेमारी कर रहे।

अमित के पिता अशोक सिंह • जागरण

- जिस खदान से जगदीश निकाल रहा था कोयला, उसी पर अमित ने भी गड़ा दी थी निगाहें
- दोनों का एक ही था गाडफादर, उसी ने कराया था विवाद के बाद समझौता, नहीं बनी बात
- अमित सिंह के व्यवसाय के बारे में उसके घरवालों को नहीं थी कोई जानकारी

अमित के शरीर पर चोट के कई निशान

अमित के भाई मनीष ने बताया कि उसकी पीठ पर गहरे जख्म मिले है। उसने गोली लगने से इन्कार किया। मनीष का कहना था कि दाईं आंख काली हो गई थी। छाती पर चाकू के वार थे। पिता अशोक सिंह का कहना है कि घटना के बाद अमित के साथी तबरेज ने जिनके नाम बताए उन्हीं पर प्राथमिकी की गई है। वे नही जानतें कि हत्या किसने की है।

जवाहर नवोदय विद्यालय

(विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

तम्पाजोर, पो0- गुहीयाजोरी, जिला- जामताड़ा-815351 (झारखण्ड)

G20

उसने एक केला पकाया और

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd. 13549/18
DHANBAD
Govt. of I...

अनुसूची-1

पारबाद व सुरुंगा के अवैध डिपो में छापा, 25 टन कोयला जब्त

दो ट्रकों पर लदा था 25 टन कोयला, एक ट्रक था खाली

कई लोडेड ट्रक भागे, डिपो में पड़ा है 600 टन कोयला

प्रतिनिधि, लोदना

[illegible] ओपी क्षेत्र के पारबाद व सुरुंगा दुर्गा मंदिर के समीप अवैध कोयला डिपो संचालित होने की सूचना पर लोदना एरिया के सीआइएसएफ इंस्पेक्टर नीलेश कुमार ने सोमवार की देर रात पारबाद शिव मंदिर के समीप छापेमारी की. अवैध डिपो से करीब 600 टन से अधिक कोयला अभी भी पड़ा हुआ है. इस दौरान आधा दर्जन कोयला लोड ट्रक फरार हो गये. सुरुंगा शिव मंदिर के समीप हजारों बोरा में कोयला भरकर रखा हुआ है. मंगलवार की सुबह सीआइएसएफ ने जब्त तीनों ट्रकों को पुलिस को सौंप दिया. समाचार लिखे जाने तक शिकायत नहीं की गयी थी.

पारबाद व सुरुंगा के अवैध डिपो से जब्त तीनों ट्रक.

एनजीटी की टीम ने किया था निरीक्षण, बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

स्थानीय ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर 21 जुलाई को कोल मंत्रालय द्वारा गठित चार सदस्यीय एनजीटी की टीम सेंट्रल सुरुंगा, पाताडीह और लक्ष्मी कोलियरी पहुंची थी. इन तीनों स्थानों पर अवैध उत्खनन स्थल का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अवैध मुहाना देखा था. टीम में धनबाद के पूर्व डीसी संदीप कुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आइआरओ रांची राजीव रंजन श्रीवास्तव, जिला खनन पदाधिकारी धनबाद मिहिर सालकर शामिल थे. कहा गया था कि रिपोर्ट बनाकर एनजीटी टीम को भेजा जायेगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

विश्वकर्मा प्रोजेक्ट से अलग रूट पर निकाले जा रहे थे लोडेड हाइवा, हंगामा

लोगों ने किया धनसार थानेदार का विरोध

बस्ताकोला. धनसार विश्वकर्मा परियोजना के अलग रूट से कोयला लोड कर हाइवा निकाले जाने पर स्थानीय लोगों ने सोमवार की रात वाहन को नयी दिल्ली रोड में पकड़कर जमकर हंगामा किया. लोग अलग रूट तय कर ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में कोयला चोरी का आरोप लगा रहे थे. स्थानीय पूर्व पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू सिंह भी पहुंचे. इन्होंने गुपचुप तरीके से नये रूट से कोयला लोड हाइवा निकाले जाने से नाराजगी जतायी. सूचना पाकर धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह दलबल के साथ पहुंचे. हाइवा को जाने देने की बात पर पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच दो घंटे तक हंगामा हुआ. धनसार थाना प्रभारी का कहना था कि बीसीसीएल ने

एक ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग रूट बदला है, जहां आज से इस मार्ग में हाइवा परिचालन शुरू हुआ है. इस पर गुड्डू सिंह भड़क गये. फिर मंगलवार को पुराने रूट से ट्रांसपोर्टिंग करायी गयी. इस संबंध में धनसार कोलियरी पीओ संजय कुमार ने कहा कि नये रूट के लिए इन हाइवा में जीपीएस सेट किया गया था. विरोध के बाद हाइवा को पुराने रूट से ही ट्रांसपोर्टिंग करायी जा रही है, जबकि धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह ने कहा कि प्रबंधन ने धनसार थाना को सूचित करते हुए थाना को पत्र सौंपा था. इसलिए पुलिस गयी थी.

प्रभात खबर Wed, 23 August 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/73271269

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd - 17749/18
DHANBAD
Govt. of India

अनुसूचि- I(E)

पहाड़ीगोड़ा जोरिया से 60 टन कोयला जब्त

पुलिस व सीआइएसएफ टीम ने की संयुक्त छापेमारी

प्रतिनिधि, लोदना

अलकडीहा ओपी पुलिस व सीआइएसएफ की संयुक्त टीम ने शनिवार को पहाड़ीगोड़ा जोरिया के समीप छापेमारी कर लगभग 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है. पुलिस टीम के पहुंचते ही कोयला तस्कर फरार हो गये. पुलिस टीम ने चार एस्कानिया वाहनों से जब्त कोयला को लोड कर कांटा कराने के बाद एनटीएसटी जीनागोड़ा प्रबंधन को सौंप दिया. सीआइएसएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि पहाड़ी गोड़ा जंगल में अवैध रूप से कोयला जमा किया गया है. सूचना पर संयुक्त टीम ने वहां पहुंच कर छापेमारी की. बताया जाता है कि रात में तस्करों द्वारा कोयला चोरी कर पहाड़ीगोड़ा जंगल में जमा किया जाता है और ट्रक पर लोड कर बाहर भेज दिया जाता है.

राजगंज : कोयला लदा ट्रक जब्त, दो गिरफ्तार

राजगंज. जिला खनन विभाग की टीम ने शनिवार को राजगंज थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के समीप 25 टन अवैध कोयला लदा ट्रक (बीआर 45 जीए 2195) को जब्त किया है. पुलिस ने चालक अरुण कुमार व खलासी रामजनम मंडल (दोनों बुमेर, बाराचट्टी, गया, बिहार) को गिरफ्तार कर लिया है. चालक व खलासी ने टीम को कोयला संबंधित कागजात नहीं दिखाया. बताया जाता है कि कतरास से अवैध कोयला लेकर ट्रक बाहर जा रहा था. इस संबंध मे खान निरीक्षक बिनोद बिहारी प्रमाणिक की शिकायत पर राजगंज थाना मे कांड संख्या 53/23 के तहत झारखंड खनिज अवैध खनन, भंडारण व परिवहन, भादवि की धारा 414/34, 4/4(1)(ए)/21 खान एव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व झारखंड खनिज अवैध खनन-परिवहन की रोकथाम नियम 2017 की धारा के तहत चालक, खलासी व ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने गिरफ्तार चालक व खलासी को धनबाद जेल भेज दिया.

प्रभात खबर
Sun, 27 August 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/73304324

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd. 19/18
DHANBAD
Govt. of

अनुसूची - 2

सुरूंगा में बना गोफ, चबूतरा जमींदोज, शिव मंदिर झुका

बना गोफ व नीचे मंदिर का पूरा चबूतरा जमीन मे धंसा व झुका क्षतिग्रस्त मंदिर

जगह-जगह बनी दरार से लोगों में दहशत

प्रतिनिधि, लोटना

अलकडीहा ओपी क्षेत्र के पहाड़ीगोड़ा स्थित सुरूंगा शिव मंदिर के समीप मैदान में शनिवार को जोरदार आवाज के साथ कई जगह जमीन धंस गयी. उससे 20 फीट लंबा व 10 फीट चौड़ा गोफ बन गया. कई जगह दरार पड़ने से शिव मंदिर का चबूतरा पूरा जमीन में धंस गया और मंदिर का ऊपर भाग झुक गया. ग्रामीणों ने सुरक्षा के मद्देनजर गोफ की ओर आने-जाने पर रोक लगा दी है. इधर, कोयला चोरों द्वारा उक्त स्थल को ट्रैक्टर से ओबी व मिट्टी से अपने खर्च पर भराई शुरू की गयी है.

पहले भी आधा चबूतरा धंस गया था

नवंबर 2022 में सुरूंगा शिव मंदिर के समीप पूर्व में भी अवैध मुहाना खोलकर कोयला कटाई की जा रही थी. उस समय भी मंदिर का आधा चबूतरा धंस गया था. उस समय बलियापुर सीओ रामप्रवेश ने छापामारी कर भारी मात्रा में कोयला जब्त कर 18 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. उस समय काफी हो-हल्ला मचा था तो मुहानों की भराई करा दी गयी थी. तब से अवैध उत्खनन बंद था. लेकिन इधर, फिर से शुरू होने की चर्चा है.

जीनागोड़ा एफ पैच परियोजना के सरफेस में पड़ी दरार, आइएसओ की टीम ने काम पर लगायी रोक

लोदना. लोदना क्षेत्र के जीनागोड़ा एफ पैच देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना के ओबी डंप मे रास्ता से सरफेस तक शनिवार को 4 से 7 इंच तक दरार पड़ गयी. उससे परियोजना मे साइड फॉल होने की आशंका बढ़ गयी है. सूचना पाकर कोयला भवन मुख्यालय से आइएसओ की एक टीम ने परियोजना पहुंच कर दरार का निरीक्षण किया. टीम ने एनटी-एसटी जीनागोड़ा मैनेजर डीके माजी को दरार वाले क्षेत्र से ओबी व कोयला मे लगी मशीनों को अविलंब हटाने का निर्देश दिया. मैनेजर ने उक्त स्थल की घेराबंदी करा दी है. मशीनों को हटाने के बाद उधर किसी के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. ओबी के सरफेस पर पोकलेन मशीन लगाकर ओबी हटाया जा रहा है. इधर, जनता श्रमिक संघ के लोदना क्षेत्रीय सचिव शैलेंद्र सिंह उर्फ छोटू ने कहा कि सुरक्षा मे भारी कमी है. परियोजना में जहां ओबी कटिंग की जाती है. वहां वैंच नहीं है. इसकी शिकायत डीजीएमएस से करेंगे. इस संबंध मे जीनागोड़ा मैनेजर डीके माजी ने बताया कि ओबी डंप के सरफेस मे दरार पड़ी है. मुख्यालय से आयी टीम के आदेश पर फिलहाल वहां काम करने पर रोक लगा दी गयी है.

गुप्त सूचना पर अलकडीहा पुलिस व सीआइएसएफ लोदना एरिया इंस्पेक्टर नीलेश कुमार ने पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से पारबाद अवैध डिपो में छापेमारी कर कोयला लोड तीन ट्रकों को पकड़ा था. बताया जाता है यहीं के अवैध रूप से खनित कोयला वहां जमा किया जाता है.

क्या कहते हैं अलकडीहा ओपी प्रभारी

अलकडीहा ओपी प्रभारी महेंद्र कुमार ने कहा कि सुरूंगा शिव मंदिर के समीप जमीन धंसने से मंदिर झुका है. इससे वहां आसपास में दरारें पड़ी है. एनजीटी की टीम के निरीक्षण के बाद से इस क्षेत्र में कोयला का अवैध उत्खनन बिल्कुल बंद है.

प्रभात खबर Sun, 03 September 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/73358563

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd-...49/18
DHANBAD
Govt. of I...

अनुसूचि - 3

सुरुंगा-पाथरडीह मार्ग पर फिर पड़ी दरार

घटना से लोगों में दहशत

लोटना. अलकडीहा ओपी क्षेत्र के पाथरडीह-सुरुंगा मुख्य पीसीसी पथ पर एक सप्ताह बाद दूसरी बार शनिवार को दरार पड़ गयी. दरार पुराना शिव मंदिर मैदान से पांच सौ मीटर की दूरी पर है. जोरदार आवाज होने के कारण जमीन पर कई जगह दरारें पड़ गयी हैं. इसके कारण मंदिर के आसपास लगे पेड़-पौधे झुक गये हैं. दरार का दायरा न्यू पहाडीगोड़ा बस्ती की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में अवैध माइंस चलाने वाले लोगों के प्रति आक्रोश है. इधर, अवैध धंधेबाजों ने द्वारा उक्त स्थल को ट्रैक्टर से ओबी व मिट्टी गिराकर भर दिया है. मंदिर जाने के रास्ते पर झाडी रखकर भर दिया गया है. लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास भारी पैमाने पर पूर्व में अवैध माइंस चलायी गयी है. इधर, लगातार हो रही बारिश से जमीन बैठ रही है.

इंडस्ट्री कोलियरी गोरखपुरिया धौड़ा में बना गोफ, हड़कंप

बस्ताकोला. कुसुंडा क्षेत्र की इंडस्ट्री कोलियरी गोरखपुरिया धौड़ा के समीप लगातार बारिश के कारण शनिवार की सुबह एक गोफ बन गया. उससे क्षेत्र मे हड़कंप मच गया. इसकी सूचना स्थानीय लोगो ने ऐना कोलियरी प्रबंधन को दी. लेकिन अभी तक गोफ की भराई नहीं की गयी है. उससे यहा रहने वाले लोगो मे प्रबंधन के प्रति आक्रोश है. गोफ के बगल मे ही गोरखपुरिया धौड़ा, बीसीसीएल का बिजली घर व चानक है. प्रबंधक ललन कुमार ने कहा कि गोफ होने की सूचना मिली है. इसकी जांच कर भराई करायी जायेगी.

प्रभात खबर
Sun, 10 September 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/73415547

अजय रजक

CHANCHAL PRASAD SINGH
NOTARY
Regd - 13549/18
DHANBAD
Govt. of India